

१०८७
१४२५ १०१०

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उत्तराखण्ड, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मतिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-कन्नौज की 09 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

लखनऊ : दिनांक : १० अक्टूबर, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3282/42/10/छ./विविध/2017-18, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मतिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्भृत जनपद-कन्नौज की न०पं०, तिवारीगंज एवं सौरिख की विभिन्न मतिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल विकासी कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 09 परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अकित कुल रु० 45.88 लाख (रूपये पैंतालीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से तकनीकी स्वीकृति अवश्य के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
- उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

महोदय/कार्यपाल आदि।

✓
१०/१०/१८

1087

04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।

6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियम, के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण-इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ठ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

- किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यात्मक ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
११।।।
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या 52/2018/1638(1)/69-1-18, तदिलांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कागजाही हेतु प्रेषित-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
 2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
 3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
 4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
 5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कन्नौज।
 6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
 7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
 8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
 9. मुख्य काषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
 11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
 12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

सं०	का नाम	नगर पंचायत का नाम।	प्राप्ति का की कुल लागत।	जा सही घनराश।	
1	2	3	4	5	6
1	कन्जौज	न०प०, तिर्यगंज	वार्ड नं० 02 गांधीनगर में सोने श्री स्कूल से हनीफ ठेकेदार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.85	12.85
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 गांधीनगर में रजनसिंह फौजी के मकान से पंडित जी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.62	2.62
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 गांधीनगर में जगरूप सिंह के मकान से रामशरन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.46	4.46
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 गांधीनगर में विरेन्द्र सिंह के मकान से मुकेश आदवे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.98	2.98
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 गांधीनगर में महेन्द्र (रामविलास) के मकान से सुरेश (रमेश) के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.25	4.25
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 गांधीनगर में श्यामलाल दोहरे के मकान से राधेश्याम दोहरे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.43	2.43
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 मो० अम्बेडकरनगर में डॉ रामकिशन के मकान से जवाहर दोहरे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.68	5.68
8	तदैव	न०प०, सौरिख	वार्ड नं० 02 मो० अम्बेडकरनगर में शिवरामसिंह के मकान से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.27	2.27
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 मो० अम्बेडकरनगर में कल्लूरेशी के मकान से कबीरपुर रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.34	8.34
योग				45.88	45.88

(रूपये पैंतालीस लाख अठासी हजार मात्र)।


(अखिलभगत ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।